

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प.5(1) मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक 06-04-2018

आज्ञा


मन्दिर माफी से जुड़े बिन्दुओं, उनकी भूमि की समस्याओं व उनके समुचित प्रबन्धन के सम्बन्ध में सुझाव के लिये प्रशासनिक सुधार (अनु. 3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 6(3)प्र.सु./अनु.3/2018 दिनांक 01.02.2018 द्वारा गठित प्रशासनिक समिति से विचार-विमर्श कर समुचित अभिशंषा हेतु एतद्वारा निम्नानुसार मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया जाता है:-

1. श्री श्रीचंद कृपलानी, मंत्री, - अध्यक्ष
स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
2. श्री अमराराम, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), - सदस्य
राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग
3. श्री राज कुमार रिणवा, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), - सदस्य
देवस्थान विभाग

उक्त समिति एक सप्ताह में अपनी अभिशंषा प्रस्तुत करेगी।


उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, देवस्थान विभाग होगा तथा इसके सदस्य-सचिव, शासन सचिव, देवस्थान विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
3. शासन सचिव, देवस्थान विभाग।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, सम्बन्धित मंत्री/राज्य मंत्रिगण (स्वतंत्र प्रभार)।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
10. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त मुख्य सचिव